



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
आई.एस.ओ. 9001:2015 द्वारा प्रमाणित
Certified with ISO 9001:2015



क्षेत्रीय कार्यालय (दिल्ली) / Regional Office (Delhi)
तृतीय एवं चतुर्थ तल, राजेंद्र भवन, राजेंद्र प्लॉस, नई दिल्ली-110008
3rd and 4th Floor, Rajendra Bhawan
Rajendra Place, New Delhi – 110008
Phone: 011-25734381, 25745044 Email: rd-delhi@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

File No.: 111-A-33/16/MACP(LDC)/2022Admn-II, EComp. No.: 36448

Date-25-01-2025

कार्यालय आदेश संख्या- 18 वर्ष 2025 (प्रशासन-2 शाखा)

मुख्यालय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के ज्ञापन संख्या- ए-27/17/6वां/सीपीसी/4/2008-ई.-3 दिनांक- 30.11.2009 के द्वारा परिचालित भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या-35034/3/2008-स्था.(घ) दिनांक 19.05.2009 एवं दिनांक 16.11.2009 तथा मुख्यालय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के ज्ञापन संख्या- ए-27/17/7वां/सीपीसी/3/2017/ई.-3 दिनांक- 12.07.2017 के द्वारा परिचालित भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या- 35034/3/2015-स्था.(घ) दिनांक 27/28.09.2016 तथा भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या- 35034/3/2015-स्था.(घ) दिनांक 22.10.2019 के अनुसरण में दिनांक-20.11.2024 को सम्पन्न विभागीय जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर क्षेत्रीय निदेशक ने संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्ट्रयन योजना (एमएसीपी स्कीम) के अंतर्गत निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से वित्तीय उन्नयन प्रदान करने का अनुमोदन/आदेश किया है-

क्र.सं.	नाम	नियुक्ति तिथि	वर्तमान तैनाती स्थल	एमएसीपी के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के लिए पात्रता की तिथि
1.	Sunil Kumar, LDC (110528)	29-09-2000	D(M)D	29-09-2020 (2nd MACP) Level-3 granted
2.	Aklesh Kumar LDC (137261)	24-07-2012	ESID Jwalapuri	24-07-2022 (1st MACP) Level-2 granted
3.	Surender Singh LDC (105258)	25-06-2009	ESID Jwalapuri	25-06-2019 (1st MACP) Level-2 granted

उपर्युक्त कर्मचारियों को एमएसीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के अंतर्गत उनके नाम के सामने उल्लेखित पे-लेवल प्रदान किया जाएगा।

एम ए सी पी योजना के अंतर्गत उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या- 35034/3/2008-स्था.(घ) दिनांक 19.05.2009 तथा कार्यालय ज्ञापन संख्या- 35034/3/2015-स्था.(घ) दिनांक 22.10.2019 में उल्लिखित निर्बंधन एवं शर्तों और इस विषय पर मुख्यालय कार्यालय के द्वारा समय-समय पर जारी स्पष्टीकरण के अधीन होगा। इस कार्यालय आदेश के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर मूल नियमावली (एफ आर) FR-22(1)(a)(1) के अंतर्गत कार्मिक, वेतन निर्धारण के विषय

में अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। एक बार देया गया विकल्प आतेम होगा।

एसीपी / एम ए सी पी योजना के अंतर्गत प्रदान किया गया वित्तीय लाभ अंतिम होगा और नियमित पदोन्नति पर अर्थात् उच्चग्रेड में कार्यात्मक पद के स्थान पर तैनाती के समय वेतन निर्धारण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त कर्मचारी को वित्तीय उन्नयन एम ए सी पी योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता तथा शर्तों पूरी करने पर ही प्रदान किया गया है।

RAJSHEKHAR SINGH

DEPUTY DIRECTOR

प्रतिलिपि-

1. सभी संबंधित कर्मचारियों को उनके वर्तमान नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से।
2. निदेशक/चिकित्सा अधीक्षक, निदेशालय(चिकित्सा) दिल्ली/कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, बसईदारापुर।
3. सभी बीमा चिकित्सा प्रभारी, औषधालय (दिल्ली क्षेत्र) को सूचनार्थ।
4. उप निदेशक (प्रभारी) के निजी सचिव कक्ष, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली।
5. डी.पी.सी-2 शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली।
6. आई टी सेल(चि)/ आई सी टी को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. कार्यालय आदेश फ़ाइल / गार्डफ़ाइल।